

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 52

Ministry of Home Affairs (दमन और दीव)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1154.96	280.80	1435.76	1288.11	296.95	1585.06	1239.74	345.32	1585.06	1364.08	311.41	1675.49
<i>वसूलियां</i>	-702.69	-2.27	-704.96	-804.75	...	-804.75	-804.75	...	-804.75	-902.00	...	-902.00
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	452.27	278.53	730.80	483.36	296.95	780.31	434.99	345.32	780.31	462.08	311.41	773.49
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	11.08	...	11.08	14.25	...	14.25	14.25	...	14.25	15.07	...	15.07
2. अन्य स्थापना	190.69	...	190.69	208.71	...	208.71	224.23	...	224.23	245.96	...	245.96
	-0.02	...	-0.02
<i>निवल</i>	<i>190.67</i>	<i>...</i>	<i>190.67</i>	<i>208.71</i>	<i>...</i>	<i>208.71</i>	<i>224.23</i>	<i>...</i>	<i>224.23</i>	<i>245.96</i>	<i>...</i>	<i>245.96</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	201.75	...	201.75	222.96	...	222.96	238.48	...	238.48	261.03	...	261.03
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
3. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं												
3.01 पुलिस कल्याण	0.50	3.82	4.32	0.50	3.03	3.53	0.50	3.03	3.53	0.50	3.03	3.53
3.02 एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण	1.07	...	1.07	2.24	...	2.24	1.72	...	1.72	0.58	...	0.58
	-0.31	...	-0.31
<i>निवल</i>	<i>0.76</i>	<i>...</i>	<i>0.76</i>	<i>2.24</i>	<i>...</i>	<i>2.24</i>	<i>1.72</i>	<i>...</i>	<i>1.72</i>	<i>0.58</i>	<i>...</i>	<i>0.58</i>
3.03 प्राकृतिक आपदाओं से राहत	0.12	...	0.12	1.05	...	1.05	1.05	...	1.05	1.05	...	1.05
3.04 अग्निशामक सेवाओं का अपग्रेडेशन	0.17	2.18	2.35	0.26	5.20	5.46	0.26	5.20	5.46	0.26	3.20	3.46
3.05 कृषि एवं संबद्ध कार्यक्रमों का	3.30	14.03	17.33	5.24	6.86	12.10	5.24	6.86	12.10	1.88	6.00	7.88
3.06 विद्युत का ट्रांसमिशन और वितरण	712.63	75.61	788.24	811.55	50.43	861.98	811.55	50.43	861.98	909.00	40.51	949.51
	-700.40	...	-700.40	-802.55	...	-802.55	-802.55	...	-802.55	-900.00	...	-900.00
<i>निवल</i>	<i>12.23</i>	<i>75.61</i>	<i>87.84</i>	<i>9.00</i>	<i>50.43</i>	<i>59.43</i>	<i>9.00</i>	<i>50.43</i>	<i>59.43</i>	<i>9.00</i>	<i>40.51</i>	<i>49.51</i>
3.07 वन, वन्यजीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण	1.41	1.57	2.98	1.51	3.78	5.29	1.51	3.78	5.29	1.71	2.05	3.76
	...	-0.92	-0.92

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.08 सार्वजनिक वितरण प्रणाली	निवल 1.41	0.65	2.06	1.51	3.78	5.29	1.51	3.78	5.29	1.71	2.05	3.76
	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	-1.47	...	-1.47	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00
3.09 चिकित्सा और स्वास्थ्य	निवल 0.53	...	0.53
3.10 शिक्षा	11.87	5.66	17.53	13.61	10.65	24.26	8.16	10.65	18.81	7.04	7.46	14.50
	10.30	50.82	61.12	9.21	35.35	44.56	5.14	90.50	95.64	5.14	57.36	62.50
	...	-0.13	-0.13
3.11 औद्योगिक संवर्द्धन	निवल 10.30	50.69	60.99	9.21	35.35	44.56	5.14	90.50	95.64	5.14	57.36	62.50
	1.00	...	1.00	3.00	0.06	3.06	3.00	0.06	3.06	0.01	2.01	2.02
3.12 श्रम कल्याण	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	2.10	...	2.10
3.13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	0.04	0.19	0.23	0.05	0.45	0.50	0.05	0.45	0.50	0.47	0.45	0.92
3.14 सड़कों और पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत	2.00	53.07	55.07	2.83	64.59	67.42	2.83	64.59	67.42	2.83	69.59	72.42
	...	-1.22	-1.22
3.15 पत्तनों और लाइट हाऊसों का निर्माण और विकास	निवल 2.00	51.85	53.85	2.83	64.59	67.42	2.83	64.59	67.42	2.83	69.59	72.42
	...	9.50	9.50	...	17.61	17.61	...	10.83	10.83	...	11.06	11.06
3.16 नागर विमानन	2.00	4.18	6.18	6.19	10.50	16.69	6.19	10.50	16.69	8.19	1.50	9.69
3.17 पर्यटन अवसंरचना का अनुरक्षण और मरम्मत	1.21	10.60	11.81	5.09	14.35	19.44	5.09	14.35	19.44	5.09	32.84	37.93
3.18 लोक निर्माण कार्य	6.48	16.62	23.10	8.50	16.50	25.00	8.50	16.50	25.00	6.76	16.51	23.27
	-0.12	...	-0.12	-0.20	...	-0.20	-0.20	...	-0.20
3.19 जलापूर्ति और स्वच्छता	निवल 6.36	16.62	22.98	8.30	16.50	24.80	8.30	16.50	24.80	6.76	16.51	23.27
	6.07	25.61	31.68	6.89	24.00	30.89	6.89	24.00	30.89	6.61	39.00	45.61
3.20 सामान्य पूल हेतु सरकारी आवास	0.75	2.92	3.67	2.77	4.50	7.27	2.77	4.50	7.27	2.69	4.50	7.19
3.21 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण	...	2.26	2.26	...	1.65	1.65	...	1.65	1.65	...	0.20	0.20
3.22 सामाजिक सुरक्षा	0.37	...	0.37	3.61	0.25	3.86	0.61	0.25	0.86	0.30	0.01	0.31
3.23 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	22.62	22.62	...	22.62	22.62	...	10.00	10.00
जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं	60.99	276.37	337.36	82.35	292.38	374.73	69.31	340.75	410.06	62.21	307.28	369.49
4. केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए यूटी पूरक	3.53	...	3.53	10.82	...	10.82	10.82	...	10.82	7.78	...	7.78
5. जनजातीय क्षेत्र संघटक	16.94	0.28	17.22	25.48	0.55	26.03	25.48	0.55	26.03	24.83	0.35	25.18
	-0.37	...	-0.37
	निवल 16.57	0.28	16.85	25.48	0.55	26.03	25.48	0.55	26.03	24.83	0.35	25.18
6. अनुदानग्राही/अन्य निकाय												
6.01 दमन और दीव की जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को अनुदान	73.93	...	73.93	70.00	...	70.00	53.16	...	53.16	63.70	...	63.70
6.02 दमन और दीव की नगरपालिका परिषदों को अनुदान	72.18	...	72.18	30.00	...	30.00	27.20	...	27.20	31.04	...	31.04
6.03 अन्य अनुदानग्राही निकाय	23.32	...	23.32	41.63	...	41.63	10.42	...	10.42	11.37	...	11.37
जोड़- अनुदानग्राही/अन्य निकाय	169.43	...	169.43	141.63	...	141.63	90.78	...	90.78	106.11	...	106.11

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य व्यय	...	1.88	1.88	0.12	4.02	4.14	0.12	4.02	4.14	0.12	3.78	3.90
जोड़-अन्य	250.52	278.53	529.05	260.40	296.95	557.35	196.51	345.32	541.83	201.05	311.41	512.46
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	250.52	278.53	529.05	260.40	296.95	557.35	196.51	345.32	541.83	201.05	311.41	512.46
कुल जोड़	452.27	278.53	730.80	483.36	296.95	780.31	434.99	345.32	780.31	462.08	311.41	773.49

- 3.06. **विद्युत का ट्रांसमिशन और वितरण:** इसमें विद्युत के ट्रांसमिशन और वितरण तथा अन्य अवसंरचना संबंधी योजनाओं और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.07. **वन, वन्यजीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण:** इसमें वन एवं वन्य जीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए योजनागत प्रावधान शामिल है।
- 3.08. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली:** इसमें खाद्यान्न भंडारण और वेयरहाउसिंग तथा सिविल आपूर्तियों के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.09. **चिकित्सा और स्वास्थ्य:** इसमें राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोगवाहक जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मातृ समृद्धि योजना, डिग्री विकास योजना, एचआईवी पांजीटिव/एड्स से ग्रसित लोगों को वित्तीय सहायता तथा स्वास्थ्य सुविधाओं/संस्थानों के उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.10. **शिक्षा:** इसमें शिक्षा (प्रौढ शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्चतर, तकनीकी शिक्षा), विद्यालय/पॉलीटेक्निक भवनों, खेल के मैदान/स्टेडियम आदि के निर्माण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.11. **औद्योगिक संवर्द्धन:** इसमें निवेश संवर्द्धन योजना और औद्योगिक क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.12. **श्रम कल्याण:** इसमें श्रमिक कल्याण योजना, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को स्वच्छ भोजन की योजना के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.13. **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान:** इसमें आई टी आई के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति तथा आई टी आई के लिए मशीन और उपकरणों के प्रापण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.14. **सड़कों और पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत:** इसमें सड़कों के अनुरक्षण और मरम्मत सहित उनके निर्माण/उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.15. **पत्तनों और लाइट हाऊसों का निर्माण और विकास:** इसमें पत्तनों और लाइटहाउसों के निर्माण और विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
1. **सचिवालय:** यह प्रावधान, दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए है।
2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों का स्थापना प्रावधान शामिल है, अर्थात् न्यायालय, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, कर, कोषागार एवं लेखा, पुलिस, जेल, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी, खेती-बाड़ी, पशुपालन, डेयरी विकास, मछलीपालन, सहकारिता, भू-राजस्व, ग्रामीण विकास, विद्युत, पर्यावरण एवं वन, वैज्ञानिक अनुसंधान, खाद्यान्न भंडारण एवं वेयरहाउसिंग, सिविल आपूर्ति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा सहित सामान्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, खेल एवं युवा मामले, कला एवं संस्कृति, उद्योग, श्रम एवं नियोजन, सड़क एवं पुल, पत्तन एवं लाइटहाउस, नागर विमानन, सूचना एवं प्रचार, पर्यटन, लेखन सामग्री एवं मुद्रण, लोक निर्माण, जलापूर्ति, शहरी विकास आदि शामिल हैं।
- 3.01. **पुलिस कल्याण:** इसमें पुलिस कल्याण निधि तथा पुलिस कार्मिकों के लिए सरकारी आवास हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.02. **एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण:** इसमें कुटीर उद्योगों के विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिक से पहले स्कॉलरशिप/छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिक के बाद स्कॉलरशिप/छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को निःशुल्क यूनीफार्म, पाठ्य-पुस्तकों आदि के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.03. **प्राकृतिक आपदाओं से राहत:** इसमें प्राकृतिक आपदाओं के आने पर पीड़ितों व्यक्तियों को राहत के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.04. **अग्निशामक सेवाओं का अपग्रेडेशन:** इसमें अग्निशामन सेवाओं के उन्नयन, आग बुझाने के उपकरणों की खरीद आदि के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.05. **कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप:** इसमें खेती-बाड़ी, मृदा संरक्षण, पशुपालन, मछलीपालन, सहकारिता के लिए प्रावधान शामिल है।

3.16. **नागर विमानन:** इसमें रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत विमानों के संचालन के लिए वीजीएफ (वाइविलीटी गैप फंडिंग) तथा हवाईअड्डों के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.17. **पर्यटन अवसंरचना का अनुरक्षण और मरम्मत:** इसमें पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना के अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.18. **लोक निर्माण कार्य:** इसमें लोक निर्माण कार्यों, भवन के निर्माण/उन्नयन तथा अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.19. **जलापूर्ति और स्वच्छता:** इसमें जलापूर्ति योजना के उन्नयन/निर्माण तथा उसके अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.20. **सामान्य पूल हेतु सरकारी आवास:** इसमें सरकारी रिहायशी भवनों के निर्माण तथा उन्नयन और उनके अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.21. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण:** इसमें ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.22. **सामाजिक सुरक्षा:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन तथा उनके चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति और एकीकृत बाल संरक्षण योजनाओं आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रावधान शामिल है।

3.23. **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा:** इसमें ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोत के संवर्धन के लिए सोलर पैनलों की खरीद तथा सोलर प्लांट्स की स्थापना की योजना के लिए प्रावधान शामिल है।

4. **केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए यूटी पूरक:** इसमें पुलिस आधुनिकीकरण योजना, आईसीडीएस-मिड डे मील, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में संघ राज्य क्षेत्र की सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **जनजातीय क्षेत्र संघटक:** इसमें जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय भवनों, सब-सेंटर्स के निर्माण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सिंचाई योजनाओं आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

6.01. **दमन और दीव की जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को अनुदान:** इसमें दमण एवं दीव की जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है।

6.02. **दमन और दीव की नगरपालिका परिषदों को अनुदान:** इसमें दमण एवं दीव की नगरपालिका परिषदों को सहायता अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है।

6.03. **अन्य अनुदानग्राही निकाय:** इसमें अन्य अनुदानग्राही निकायों को सहायता अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है, जैसे दमण एवं दीव की ई-गवर्नेंस सोसायटी, रोगी कल्याण समिति, सहायता प्राप्त विद्यालय, दीव में तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा संस्था न

सोसायटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, खेल परिषद, बाल भवन बोर्ड, पर्यटन कला एवं संस्कृति संवर्धन सोसायटी को अनुदान तथा योजना एवं विकास प्राधिकरण को अनुदान।

7. **संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य व्यय:** इसमें जनगणना और सांख्यिकी के लिए उपकरणों, सरकारी मुद्रण प्रेसों के निर्माण, लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के प्रचालन और अनुरक्षण, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं और शेयर पूंजी अंशदानों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड और सहकारी बैंक आदि के लिए प्रावधान शामिल है।